रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1239] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2017/वैशाख 14, 1939
No. 1239] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2017/VAISAKHA 14, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2017

का.आ. 1402(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04.11.2016 की अधिसूचना का.आ. 3383(अ) के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा से यह पता चलना है कि :—

(i) अभी तक जारी नागा विद्रोह की वजह से तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों में सुरक्षा की स्थिति खराब बनी हुई है;

(ii) एनएससीएन/के, एनएससीएन/आईएम, एनएससीएन/आर तथा एनएससीएन/एनके नामक नागा भूमिगत गुट जबरन धनवसूली, क्षेत्र आधिपत्य, अन्तर गुटीय शत्रुता जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

(iii) एनएससीएन (के) उल्फा (आई) के साथ सक्रिय रूप से मिलकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है तथा इसने हाल ही में इस प्रकार के हमले किए हैं;

(iv) एनएससीएन (आई एम) अब तक एनएससीएन (के) द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर आधिपत्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तथा डराने/धमकाने और जबरन धन वसूली करने का कार्य कर रहा है;

(v) एनएससीएन (आर) अरुणाचल प्रदेश में तिरप, लांगडिंग तथा चांगलांग जिलों में भी सक्रिय हैं तथा स्थानीय युवकों को भर्ती करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है;

(vi) एनएससीएन (एन के) लांगडिंग जिले में अपना प्रभाव जमाने में सफल रहा है तथा वह जबरन धनवसूली एवं अपहरण में लगा हुआ है;

(vii) उल्फा (आई), जो अब तक राज्य को कॉडरों के आवागमन तथा म्यांमार से शस्त्रों की खेप लाने के लिए ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में प्रयोग करता रहा है, ने अरुणाचल-असम सीमा पर कुछ पॉकेटों में जबरन धन वसूली शुरू कर दी है;

(viii) विद्रोह-रोधी अभियानों से बचने तथा म्यांमार से आने-जाने के लिए अरुणाचल-असम सीमा पर एनडीएफबी (एस) तथा एन डी एफ बी (आर) कॉडरों का आवागमन देखा गया है;

(ix) भूमिगत संगठनों द्वारा 06.09.2016 से 20.02.2017 तक की अवधि के दौरान, तीरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में हिंसा की 25 घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिनमें 6 व्यक्तियों (एनएससीएन (के)-1, एनएससीएन (एन के)-1, उल्फा (आई)-2 तथा सुरक्षा बलों-2 की मौत हो गई तथा 28 भूमिगत कॉडरों (एनएससीएन (आर)-9, एनएससीएन (के)-6, एनएससीएन (आई/एम)-5 और उल्फा-8 को गिरफ्तार किया गया है।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लागडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 04.05.2017 से तीन महीने के लिए, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

(i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;

(ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;

(iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;

(iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;

(vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भालूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;

(vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर थाने;

(viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

(ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2017

S.O. 1402(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 3383(E) dated 4.11.2016.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam indicate that:—

(i) security scenario in Tirap, Changlang and Longding districts remains vitiated by the spillover of Naga insurgency;

(ii) Naga UG factions namely NSCN(K), NSCN(I/M), NSCN(R) & NSCN(NK) continue to indulge in extortion, area domination, recruitment of locals, inter-factional rivalry;

(iii) NSCN(K) is persisting its attempts to target security forces jointly with ULFA(I) and has carried out such attacks during recent past;

IndiaCode

(iv) NSCN (IM) is contriving to dominate areas hitherto occupied by NSCN(K) and is resorting to intimidation and extortion;

(v) NSCN(R) is also active in Tirap, Longding and Changlang districts in Arunachal Pradesh and has been focusing on recruiting local youth;

(vi) NSCN(NK) has managed to gain a foothold in Longding district and is engaging in extortion and abduction;

(vii) ULFA(I), which has hitherto been using the State as a transit corridor for movement of cadres and transhipment of arms from Myanmar, has started indulging in extortion in certain pockets along Arunachal-Assam boundary;

(viii) Movements of NDFB(S) and NDFB(R) cadres along Arunachal-Assam boundary have been noticed for escaping Counter Insurgency operations and for movement to/from Myanmar; and

(ix) During the period from 6.09.2016 to 20.2.2017 in Tirap, Changlang and Longding districts 25 incidents of violence have been perpetrated by the UG outfits in which 6 persons (NSCN(K) -1, NSCN(NK)-1,ULFA(I)-2 and Security Forces -2 have been killed and 28 UG cadres (NSCN(R) -9, NSCN(K)-6, NSCN(I/M)-5 and ULFA-8 have been arrested.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for three months w.e.f. 4.05.2017, unless withdrawn earlier: -

(i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;

(ii) Likabali police station in West Siang district;

(iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;

(iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

(v) Seijosa police station in East Kameng district;

(vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;

(vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;

(viii) Sunpura police station in Lohit district; and

(ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.05.05 15:15:40 +05'30'